महावीर बनाम विनोद देवी मु.नं. 91/2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस वकील रेस्पो। दिनांक 14.7.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
14.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 1-8-25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी. सीकर	
1.8.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...खारिज........ की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 91/2021

1 महावीर उम्र 36 साल पुत्र रिछपाल
2 रामलाल उम्र 54 साल पुत्र नानूराम
3 लालचन्द उम्र 38 साल पुत्र चौथमल
समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 विनोदी देवी पत्नी जगदीश
2 अजय कुमार पुत्र जगदीश
3 पूजा पुत्री जगदीश
4 रेखा पुत्री जगदीश उम्र 16 साल नाबालिग जरिये सरंक्षक माता विनोदी देवी
5 बीरबल पुत्र प्रभूदयाल
6 मोहनी देवी पत्नी प्रभुदयाल
7 मीना देवी पत्नी सुभाष
8 दीपा उम्र 15 साल
9 सीमा उम्र 13 साल पुत्रियां सुभाष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मीना देवी पत्नी सुभाष
10 सचिन उम्र 10 साल पुत्र सुभाष
समस्त जाति मीणा निवासीगण कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट/वादीगण एवं वादी के वारिसान

11 पी.एन.बी. शाखा कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर।
12 एस.एस.बी.यू. बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
13 तहसीलदार खण्डेला भूमिधारी राजस्थान सरकार।

प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 श्योकोरी पत्नी छीगन
15 कमलेश पुत्री छीगन
16 रूडी पुत्री नानूराम
17 पतासी पुत्री नानूराम
18 सुभाष
19 राजू पुत्रगण मूली देवी दोहिता नानूराम
20 बाबूलाल पुत्र रिछपाल
21 चन्द्रप्रकाश
22 अनिल
23 अभिलाष पुत्रगण चौथमल
24 गंगा देवी पत्नी चौथमल
25 पार्वती
26 कमला
27 सरोज
28 आशा
29 पूजा पुत्रियां चौथमल
30 महेश पुत्र नाथूराम
31 पूरण उम्र 8 साल पुत्र मनोज पौत्र नाथूराम
32 भावना उम्र 11 साल पुत्री मनोज पौत्री नाथूराम
नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता सजना पत्नी मनोज कुमार
33 सजना पत्नी मनोज कुमार
समस्त जाति अहीर निवासीगण कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

प्रतिवादीगण / प्रफोर्मारिस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2020
मु.नं. 106 / 2006 पुनः दर्ज 123 / 2016 बउनवानी
प्रभुदयाल बनाम छीगन आदि न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी खण्डेला जिला सीकर
अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री छिगन सिंह गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेश पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 1/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 123/2016 (106/2006) में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के पूर्वज अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के ससुर व दादा, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पिता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पति, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 10 के श्वसुर व दादा प्रभुदयाल ने अपीलान्ट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 33 के पूर्वजों के विरूद्ध एकवाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 4322 रकबा 1.51 हैक्टेयर ग्राम कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम गलत दर्ज है इस भूमि पर पहले वादी का दादा, उसकी मृत्यु के पश्चात वादी का पिता चौथमल व चाचा नारायण काबिज थे, नारायण अविवाहित फौत हो गया व उत्तराधिकार के रूप में वादी काबिज है इस प्रकार वादी बतौर मालिक काबिज काश्तकारी अधिनियम की कियाशीलता से पूर्व ही वक्त बुर्जगान के समय से अनवरत चला आ रहा है। वादी दावा दायरी से दो माह पूर्व किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी लाने गया तो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम होने की जानकारी मिली। पुराना रिकार्ड निकलवाया जो दिनांक 15.05.2006 को प्राप्त हुआ। इसलिए वादी को खातेदार घोषित किया जावें। जिस वाद पत्र में बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये वाद पत्र दिनांक 26.10.2020 को निर्णित किया जाकर वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री जारी की।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.05.2006 को आदेशिका लिखी जाकर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिए गए एवं दिनांक 05.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्रीरामसिंह शेखावत ने अण्डरटेकिंग दी तथा प्रतिवाद संख्या 1 ता 12 की ओर से बिना कोई वकालतनामा प्रस्तुत हुए पत्रावली आगामी पेशियों में चलती रही इस दौरान दिनांक 23.10.2007 को वादी प्रभुदयाल की कायम मुकाम दरख्वास्त प्रस्तुत हुई जो दिनांक 23.08.2010 को स्वीकार हुई तथा दिनांक 30.05.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं दिनांक 21.03.2012 को वादी की ओर से पीडब्ल्यू 1 में पीडब्ल्यू 3 बयान हुए अर्थात दिनांक 21.03.2012 से पूर्व प्रतिवादीगण की ओर से कोई वकालतनामा पेश नहीं हुआ था तत्पश्चात दिनांक 30.04.2012 को वाद का निर्णय करने के दिन तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष यह तथ्य आने पर कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध की एकतरफा कार्यवाही में विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है तथा प्रतिवादीगण की ओर एकपक्षीय मन्सुखी प्रार्थना पत्र पत्रावली पर लेकर वास्ते जवाब दिनांक 17.05.2012 पेशी नियत की। पत्रावली वास्ते एकपक्षीय मन्सुखी प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु विचाराधीन रहते हुए लगभग 3 वर्ष पश्चात दावा दिनांक 17.04.2015 को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं पत्रावली प्रतिवादी संख्या 13 से 15 की तलबी हेतु विचाराधीन रही एवं दावा दिनांक 15.06.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.07.2016 को लिखित एक प्रार्थना पत्र जिस पर किसी पक्षकार/वादी के हस्ताक्षर नहीं है दिनांक 25.07.2016 को वाद पुनः नम्बर पर लिए जाने का पेश हुआ जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के अधिवक्ता द्वारा नो ऑब्जेक्शन करने से उसी दिन वाद पत्र पुनः नम्बर पर लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 की तलबी हेतु पत्रावली विचाराधीन रही तत्पश्चात दिनांक 16.03.2020 तक पत्रावली केवल मात्र तारीख पेशियों में रही एवं कोई भी प्रभावी कार्यवाही या आदेश पारित नहीं हुआ एवं मार्च

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2020 में कोरोना महामारी के कारण पत्रावली दिनांक 17.11.2020 में नियत थी परन्तु तारीख पेशी 17.11.2020 से पूर्व ही दिनांक 14.10.2020 को तलब की गयी एवं दिनांक 22.10.2020 को वादीगण की बहस सुनी जाकर दिनांक 26.10.2020 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी। उक्त अवधि के दौरान न तो प्रतिवादीगण के एकतरफा कार्यवाही मन्सुख किए जाने के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया गया ना ही प्रतिवादीगण का जवाबदावा बन्द किया गया ना ही दिनांक 25.07.2016 को वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी इस प्रकार बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये कानून को ताक में रखकर निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी जो निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2020 के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी जाने का आदेश दिया है जबकि उस दिन तो प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 11, 12 जीवित ही नी थे इसलिए मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की तामील सम्यक होने के उपरान्त उनकी ओर से कुछ समय के लिए अधिवक्ता उपस्थित भी आये किन्तु प्रकरण में किसी प्रकार का जवाब आदि पेश नहीं किया एवं नियत तारीख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 व उनके अधिवक्ता को बार–बार आवाजे लगाने पर भी कोई हाजिर अदालत नही आया। जमाबंदी संवत 2017 से 2020 में खसरा नम्बर 4322 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1326 है की खातेदारी पूर्व में नारायण, चोथा पुत्र रूघा जाति बागड़ी मीणा के नाम दर्ज थी जो नामान्तकरण संख्या 203 द्वारा नानू पुत्र दुला जाति अहीर के नाम दर्ज की गयी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 30.05.2006 से भी वादीगण के वाद कथनों की पुष्टि होती है। प्रतिवादी अपीलान्ट ने वाद के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का

भू-राजस्व अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.05.2006 को आदेशिका लिखी जाकर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिए गए एवं दिनांक 05.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्रीरामसिंह शेखावत ने अण्डरटेकिंग दी तथा प्रतिवाद संख्या 1 ता 12 की ओर से बिना कोई वकालतनामा प्रस्तुत हुए पत्रावली आगामी पेशियों में चलती रही इस दौरान दिनांक 23.10.2007 को वादी प्रभुदयाल की कायम मुकाम दरख्वास्त प्रस्तुत हुई जो दिनांक 23.08.2010 को स्वीकार हुई तथा दिनांक 30.05.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं दिनांक 21.03.2012 को वादी की ओर से पीडब्ल्यू 1 में पीडब्ल्यू 3 बयान हुए अर्थात दिनांक 21.03.2012 से पूर्व प्रतिवादीगण की ओर से कोई वकालतनामा पेश नहीं हुआ था तत्पश्चात दिनांक 30.04.2012 को वाद का निर्णय करने के दिन तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष यह तथ्य आने पर कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध की एकतरफा कार्यवाही में विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गयी है तथा प्रतिवादीगण की ओर एकपक्षीय मन्सुखी प्रार्थना पत्र पत्रावली पर लेकर वास्ते जवाब दिनांक 17.05.2012 पेशी नियत की।

विचारण न्यायालय में पत्रावली वास्ते एकपक्षीय मन्सुखी प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु विचाराधीन रहते हुए लगभग 3 वर्ष पश्चात दावा दिनांक 17.04.2015 को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं पत्रावली प्रतिवादी संख्या 13 से 15 की तलबी हेतु विचाराधीन रही एवं दावा दिनांक 15.06.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.07.2016 को लिखित एक प्रार्थना पत्र जिस पर किसी पक्षकार/वादी के हस्ताक्षर नहीं है दिनांक 25.07.2016 को वाद पुनः नम्बर पर लिए जाने का पेश हुआ जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के अधिवक्ता द्वारा नो ऑब्जेक्शन करने से उसी दिन वाद पत्र पुनः नम्बर पर लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 की तलबी हेतु पत्रावली विचाराधीन रही तत्पश्चात दिनांक 16.03.2020 तक पत्रावली केवल मात्र तारीख पेशियों में रही एवं कोई भी प्रभावी कार्यवाही या आदेश पारित नहीं हुआ एवं मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पत्रावली दिनांक 17.11.2020 में नियत थी परन्तु तारीख पेशी 17.11.2020 से पूर्व ही दिनांक 14.10.2020 को तलब की गयी एवं दिनांक 22.10.2020 को वादीगण की बहस सुनी जाकर दिनांक 26.10.2020 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी। उक्त अवधि के दौरान न तो प्रतिवादीगण के एकतरफा कार्यवाही मन्सुख किए जाने के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया गया ना ही प्रतिवादीगण का जवाबदावा बन्द किया गया ना ही दिनांक 25.07.2016 को वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी इस प्रकार बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी।

विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2020 के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी जाने का आदेश दिया है जबकि उस दिन तो प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 11, 12 जीवित ही नहीं थे इसलिए मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 1/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
सीकर